पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 134/2024 दिनांक- 24.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

छेड़खानी का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 23.04.2024 को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक- 22.04.2024 को समय करीब- 12 बजे रात्रि में आरोपी बिन्दु राजभर पुत्र रामलखन राजभर पासीपुर उर्फ रसूलपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की जो घर के छत पर सो रही थी के साथ छेड़खानी किया तथा हल्ला गुहार करने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 123/24 धारा- 354, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 24.04.2024 को उ0 नि0 अंगद सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बिन्दु राजभर पुत्र रामलखन राजभर पासीपुर उर्फ रसूलपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को काशी करवट मोड़ कप्तानगंज से नियमानुसार समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बिन्दु राजभर पुत्र रामलखन राजभर पासीपुर उर्फ रसूलपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 123/2024 धारा-354,504 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 अंगद सिंह यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

दहेज हत्या के मुकदमे मे वांछित 02 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 23.03.2024 वादी मुकदमा राम दरश राजभर पुत्र स्व0 बुधई ग्राम कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की छोटी बहन प्रियंका राजभर की शादी लगभग दो वर्ष पुर्व रामदुलारे राजभर पुत्र लक्षिराम राजभर निवासी अवांव टोडरपुर थाना मुबारकपुर के साथ किया गया था। वादी की बहन पीड़िता प्रियंका राजभर को उसके पति रामदुलारे राजभर, ससूर लक्षिराम राजभर, सास शारदा देवी तीनो मिलकर दहेज हेतु प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दिया गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 155/2024 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम लक्षिराम राजभर पुत्र स्व0 श्यामदेव राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. रामदुलारे पुत्र लक्षिराम राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ एवं 3. अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी लक्षिराम राजभर निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना नियमानुसार स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 24.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तो को घर ग्राम अवांव मे दबिश देकर अभियुक्त 1. लक्षिराम राजभर पुत्र स्व0 श्यामदेव राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. रामदुलारे पुत्र लक्षिराम राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ एवं 3. अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी लक्षिराम राजभर निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 08.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही विवेचनाधिकारी स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. लक्षिराम राजभर पुत्र स्व0 श्यामदेव राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. रामदुलारे पुत्र लक्षिराम राजभर निवासी ग्राम अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ एवं
3. अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी लक्षिराम राजभर निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 155/2024 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, हे0का0 प्रमोद यादव, का0 मदन शर्मा, म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना- मेंहनाजपुर

थाना मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनों में हुई तीन चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण, चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:- विगत दो माह में थानाक्षेत्र मेंहनाजपुर में अलग अलग स्थानों पर तीन चोरी की घटनाएं हुई थी जिसके सन्दर्भ में थाना मेंहनाजपुर पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये थे जिनका विवरण इस प्रकार है --

➡दिनांक 12.03.24 को आवेदक अभिषेक सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम कुरेहरा तेज सिंह थाना- मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक 12-03-2024 की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति नें गाँव के शिव मन्दिर स्थित धर्मशाला है जिसका ताला रुम का तोडकर उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति नें रुम में रखा , पीतल का अखण्ड दीप आठ प्लेट स्टील का खाने का 11 थाली 10 कटोरी स्टील की 8 छोटा प्लेट स्टील का तथा साउन्ड मशीन व माइक आदि समान चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 34/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 12.04.24 को आवेदक ब्रजेश सिंह आत्मज श्री गौरीशंकर सिंह निवासी ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर पोस्ट मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय चौबाह थाना मेंहनाजपुर पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, मै दिनांक 12-04-24 को प्रातः 7.45 AM पर विद्यालय पहुचाँ तो देखा कि विद्यालय में रखे आलमारी से दो टेबलेट जिनके IMEI NO क्रमशः 352140905693212 व 352140905698534 है, जिसे अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 22.04.24 को आवेदिका माया विश्वकर्मा पत्नि धर्मेन्द्र विश्वकर्मा ग्रा0सिधौना (तलवा) थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक 21/4/24 को रात्रि में खाना पिना खा कर अपनी साइकिल एटलस लाल कलर अपने दरवाजे पर बाहर खड़ी करके सपरिवार अन्दर सो गये की दिनांक 22/4/24 सुबह करीब 5 बजे जागकर दरवाजा के बाहर आये तो देखा कि जो मै अपने खड़ी की थी वह नही थी रात्रि में मेरी साईकिल को कोई चुरा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण :- दिनांक 24.04.2024 को उ0नि0 फूलचन्द यादव मय हमराह द्वारा उपरोक्त तीनों मुकदमों के अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सूर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना (तलवा) थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी गये सामान 01 पीतल का अखण्डदीप, 08 प्लेट स्टील, 11 थाली स्टील,10 कटोरी स्टील, 01 साऊण्ड मशीन ,02 टैबलेट(सैमसंग) व एक साईकिल एटलस के साथ समय 08.10 बजे पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 12/13.03.24 की रात्रि में ग्राम कुरेहरा तेज सिंह में शिवमंदिर की धर्मशाला से अखंड दीप, बर्तन व साऊंड मशीन चोरी किया था । दिनांक 12.04.24 की रात में सरकारी विद्यालय चौबाह से दो टैबलेट(मोबाईल)चोरी किये थे । दिनांक 22.04.24 को अपने ही गांव सिधौना (तलवा) की रहने वाली माया विश्वकर्मा पत्नी धर्मेन्द्र विश्वकर्मा के मकान के बाहर खड़ी एटलस साईकिल चोरी किया था ।दिनांक 23.04.24 को मैं शाम को चोरी किये हुए दोनों टैबलेट को सिधौना बाजार में बेचने आया था परन्तु कोई ग्राहक नहीं मिला था। चोरी किये हुए सामान को मैं अपनी सुविधा के अनुसार कबाड़ की दुकान व अनजान लोगों को बेच देता हूं।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0स0 34/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 380 भादवि थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 379 भादवि थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 34/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 380 भादवि थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 379 भादवि थाना मेंहनाजपुर जपनद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1- मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सूर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना (तलवा) थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी :

1- 01 पीतल का अखण्डदीप, 08 प्लेट स्टील, 11 थाली स्टील,10 कटोरी स्टील,

2- 01 साऊण्ड मशीन ,02 टैबलेट(सैमसंग) व एक साईकिल एटलस

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 फूलचन्द यादव थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 संतोष यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह पुलिस बल के अलीनगर चौराहे पर चेकिंग के दौरान रोडवेज की तरफ से एक व्यक्ति स्प्लेन्डर मोटर साइकिल से तेज गति से आ रहा था जिसे रोकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल मोड़ कर पुनः भागने के फिराक मे था कि हमराही कर्मचारीगण के मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम अंकित यादव उर्फ हरिराम यादव पुत्र रामअचल यादव निवासी कोल ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ है जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर व एक कारतूस .315 बोर की बरामदगी हुई। उक्त के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 तुलसी प्रसाद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः- अंकित यादव उर्फ हरिराम यादव पुत्र रामअचल यादव निवासी कोल ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ

बरामदगी- एक तमंचा .315 बोर व एक कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 157/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, हे0का0 प्रमोद यादव, का0 मदन शर्मा, का0 शैलेश यादव म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना- कोतवाली

गांजा के साथ 02 गांजा तस्कर गिरफ्तार; मोटरसाइकिल सीज।

दिनांक 24.04.24 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, कां0 विवेक शर्मा, कां0 सतेन्द्र पाठक, कां0 गौरव जायसवाल द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1. अनिल उर्फ अतुल यादव पुत्र लालमन यादव निवासी चक घुरान बड़हरडीह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष, 2. त्रिभुवन उर्फ कुट्टी गोड़ पुत्र लौटन गौड़ निवासी अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को समय 08.50 बजे गौरीशंकर घाट के पास स्थित हथिया पुल तिराहा थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तथा कब्जे से 3.5 किलोग्राम नजायज गांजा बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल उर्फ अतुल यादव पुत्र लालमन यादव निवासी चक घुरान बड़हरडीह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष,
2. त्रिभुवन उर्फ कुट्टी गोड़ पुत्र लौटन गौड़ निवासी अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरणः 3.5 किलो ग्राम गांजा व एक मोटर साइकिल न0 UP50AQ7796 207 एमबी एक्ट मे सीज

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 240/24 धारा 8/20/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 241/24 धारा 8/20/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1- त्रिभुवन उर्फ कुट्टी गोड़ पुत्र लौटन गौड़ निवासी अलौवा उपरोक्त

क्र0सं0	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	198/22	8/20एनडीपीएस एक्ट	कप्तानगंज	आजमगढ़
2	308/22	147/308/323/504/506 भादवि	कप्तानगंज	आजमगढ़
3	241/24	8/20/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

2-अनिल उर्फ अतुल यादव पुत्र लालमन यादव निवासी चक घुरान उपरोक्त

क्र0सं0	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	240/24	8/20/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, कां0 विवेक शर्मा, कां0 सतेन्द्र पाठक, कां0 गौरव जायसवाल थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना अतरौलिया

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 21.04.24 को वादिनी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.04.24 को रात्रि 11.30 बजे विपक्षी शुभम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम चत्तुरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर आकर वादिनी की पुत्री उम्र 20 वर्ष के छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 354 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 376 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 24.04.2024 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी चत्तुरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को छितौनी हाइवे अण्डरपास से समय 13.45 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 134/24 धारा 354/376 भादवि थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त– 1. शुभम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी चत्तुरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 जफर अयूब 2. हे0का0 मनोज यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना- फूलपुर

लगातार फरार आरोपी के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

दिनांक-08.07.2022 वादी हरिश्चंद्र यादव पुत्र राजित राम यादव कटार निवासी थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा खुद की मोटर साइकिल splendor Pro जिसका नंबर UP 62 Z 7127 हैं,को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0स0-235/2022 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात के दर्ज कराया गया था ।

➡मुकदमा उपरोक्त में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन फर्द गिरफ्तारी/ बरादमगी के आधार पर अभियुक्तगण 1. संदीप कुमार पुत्र दयाराम निवासी बीबीपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ 2. राजू चौहान पुत्र नीरपत चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ 3. जयहिन्द चौहान पुत्र स्व0 सूर्यभान चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ 4. चन्दन चौहान पुत्र राम अचल निवासी सोहौली जगदीशपुर थाना बरदह आजमगढ 5. जोगेन्दर चौहान पुत्र स्व0 संजय चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 6. राजन पुत्र राजू निवासी सल्लागढ़ कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आये। क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 05 उपरोक्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है तथा क्रम संख्या 06 अभियुक्त राजन उपरोक्त लगातार फरार चल रहा है।

➡ अभियुक्त राजन उपरोक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय से दिनांक 13.2.2024 को एनबीडब्लू जारी किया गया जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार उसके घर व मिलने वाले सम्भावित ठिकानो पर दबिश दिया गया परन्तु अभियुक्त न तो गिरफ्तार हुआ और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनसे विरूद्ध माननीय न्यायालय से दिनांक 23.04.2024 को धारा 82 द0प्र0सं0 की आदेशिका जारी किया गया । मा0 न्यायालय के द्वारा जारी 82 सीआरपीसी की नोटिस आज दिनांक- 24.04.2024 को उ0नि0 शंकर यादव मय हमराह द्वारा फरार अभियुक्त राजन पुत्र राजू निवासी सल्लागढ़ कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के घर व आसपास के क्षेत्रों में डुगडुगी बजवाकर नियमानुसार अभियुक्त के घर चस्पा किया गया ।